रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2015/भाद्र 16, 1937
No. 551] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2015/ BHADRA 16 , 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 683(अ)- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ड, 15ण और धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (घख) और (च) के साथ पठित धारा 15 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ता और अन्य शर्तें) नियमावली, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात —

1. (1) ये नियम प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ता और अन्य शर्तें) संशोधन नियमावली, 2015 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ता और अन्य शर्तें) नियमावली, 2003 में,—

(i) नियम 2 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात:

"(घ) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु इस अधिनियम में या बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) में या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) में

परिभाषित सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अभिप्राय होंगे जो उन अधिनियमों में उन्हें क्रमश: दिए गए हैं;"

(ii) नियम 10 में," से संबंधित मामलों में "शब्दों के बाद, पेंशन या वस्तु व्युत्पन्न या बीमा या" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(iii) नियम 11 में," से सहबद्ध कोई अन्य व्यक्ति" शब्दों के बाद,"पेंशन या वस्तु व्युत्पन्न या बीमा या" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

[फा.सं. 3/5/2015-आरई]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र में तारीख 9 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात तारीख 12 जून, 2013 की अधिसूचनासंख्या सा.का.नि. 369 (अ) तथा तारीख 22 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(FINANCIAL MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2015

G.S.R. 683 (E). — In exercise of the powers conferred by section 15L, read with section 15M, 15O and clauses (db) and (f) of sub-section (2) of section 29 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Appellate Tribunal (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Presiding Officer and other Members) Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called as Securities Appellate Tribunal (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Presiding Officer and other Members) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Appellate Tribunal (Salaries, Allowances & other Terms and Conditions of Presiding Officer and other Members) Rules, 2003,-

(i) in rule 2, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

"(d) all other words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act or in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or the Insurance Regulatory Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or the Pension Fund Regulatory and Development AuthorityAct, 2013 (23 of 2013), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.";

(ii) in rule 10, after the words "in matters relating to", the words "pensions or commodity derivatives or insurance or" shall be inserted;

(iii) in rule 11, after the words "any other person associated with", the words "pensions or commodity derivatives or insurance or" shall be inserted.

[F. No.3/5/2015-RE]
MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R.178 (E), dated the 9th March, 2004 and subsequently amended vide numbers G.S.R.369 (E), dated the 12th June, 2013 and G.S.R. 742 (E), dated the 22nd October, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.